(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 4190–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 58/ अपील/2016–17.

एम.के. इन्टर प्राईजेज द्वारा पार्टनर

1– श्रीमती कुसुम गोयल पत्नी जी.सी. गोयल
निवासी 51, कैलाश विहार,
सिटी सेंटर ग्वालियर

2– श्रीमती उर्मिला बैस पत्नी एस.बी. सिंह
निवासी बलवंत नगर, ग्वालियर .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा भूपेन्द्र सिंह कुशवाह
तहसीलदार वृत मेहरा मुरार जिला ग्वालियर

2– अनुविभागीय अधिकारी आर.सी. मिश्रा
मुरार जिला ग्वालियर

3– कलेक्टर, जिला ग्वालियर .....असल प्रत्यर्थीगण

4– उत्तम सिंह पुत्र नाथू सिंह
निवासी ग्राम सिरौल
परगना व जिला ग्वालियर .....फॉरमल प्रत्यर्थी

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री डी.के. शुक्ला, अभिलाषक, प्रत्यर्थी कमांक 1 से 3
श्री गजेन्द्र सिंह, अभिलाषक, प्रत्यर्थी कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/7/17 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी कमांक 4 द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मोहनपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 358 कुल रकबा 1.968 हेक्टेयर है । उक्त भूमि उसे उसके पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात वारिसान के रूप में तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–10–2010 से प्राप्त हुई है । उक्त भूमि को विवादित मानकर झूठी शिकायत के आधार पर पैंसिली अभिलेख में दर्ज करा दी गई है, अतः पैंसिली आदेश निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, ग्वालियर को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–12–14 को जांच कर इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि विधिवत किसी आदेश से प्रत्यर्थी कमांक 4 के नाम दर्ज हुई है तो इसका उल्लेख संवत् 2020 लगायत 2024 के खसरे में होना चाहिए, परन्तु खसरा उपलब्ध नहीं होने से, उसमें सम्बन्ध में प्रमाणिक रूप से कुछ कहना संभव नहीं है । प्रत्यर्थी कमांक 4 संवत् 2024 से वर्तमान तक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होकर कृषि कार्य कर रहा है, अतः संवत् 2020 लगायत 2024 तक का खसरा उपलब्ध नहीं होने से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 22–12–14 को आदेश पारित कर प्रकरण निरस्त किया गया । तत्पश्चात प्रत्यर्थी कमांक 4 द्वारा दिनांक 1–4–2015 को पुनः इसी आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि की जांच होने तक अभिलेख में पैंसिली दर्ज की गई है, और अभी तक लगभग तीन–साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं, और जांच समाप्त हो चुकी होगी, अतः पैंसिली प्रविष्टि निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 278/2014–15/बी–121 दर्ज कर दिनांक 15–12–15 को आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–16 को आदेश पारित कर प्रकरण प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 5–12–2013 को प्रत्यर्थी कमांक 4 से कय की जाकर दिनांक 28–3–2016 को उनका नामांतरण भी प्रश्नाधीन पर हो गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा मनमाने तरीके से बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का

अवसर दिये अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर ली गई है एवं अपीलार्थीगण का दिनांक 20–10–2016 को सूचना पत्र जारी किया गया है । उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 26–10–2016 को उपस्थित होकर दस्तावेजों की प्रति जवाब प्रस्तुत करने हेतु चाही गई थी, जो कि उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है, और दिनांक 26–10–2016 को ही प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि प्रत्यर्थी कमांक 4 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, ऐसी स्थिति में पैंसिली प्रविष्टि दर्ज करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना है ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–3–2016 को अपीलार्थीगण के पक्ष में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है । उक्त आदेश प्रत्यर्थी कमांक 4 के पक्ष में पारित किया गया है ।

(2) तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुनर्विलोकन में लिया जाकर अपीलार्थीगण को दिनांक 20–10–2016 को सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है एवं राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत कर वापिस लेना आश्चर्यजनक है ।

(3) कलेक्टर द्वारा एम.के. इन्टर प्राईजेज के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि उत्तम सिंह के विरूद्ध पारित किया गया है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में चरनोई दर्ज है, और चरनोई भूमि का वंटन नहीं किया जा सकता है ।

(5) पूर्व में पी. नरहरि, कलेक्टर के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा अभिलेख में दर्ज पैंसिली प्रविष्टि को हटाने का आवेदन पत्र दिया गया है, जो दिनांक 22–12–14 को निरस्त कर दिया गया है । पुनः वर्तमान कलेक्टर के समक्ष उसी आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 15–12–15 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया यिा गया है ।

उनके द्वारा अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा वर्ष 2011 में भूमि विवादित होने से एंट्री पेंसिल से कराई गई है लेकिन अभी तक जांच पूरी कर उपरोक्त एंट्री के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । चार साल के खसरे उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच प्रभावित बताई गई है । आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय में उपरोक्त चार वर्षों में से दो वर्ष के खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई है, इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कलेक्टर द्वारा गम्भीरता से जांच नहीं कराई जा रही है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे तीन माह की अवधि में जांच पूर्ण कर प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेवें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–16 एवं कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–15 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण कलेक्टर को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर